



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102026-276701
CG-DL-E-01102026-276701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]
No. 41]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

आ.अ. 41(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क क की उप-धारा (1) और (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, मणिपुर की सरकार के साथ परामर्श करके एतद्वारा, मणिपुर राज्य में जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित अपनी अधिसूचना सं. 508/एमआर/2023, दिनांक 14 अगस्त, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :-

(i) उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में चुराचन्दपुर जिले से संबंधित मौजूदा प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

तालिका

जिले का नाम	जिला निर्वाचन अधिकारी का पदनाम	अधिकार-क्षेत्र (विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र की सं. एवं नाम)
(1)	(2)	(3)
चुराचन्दपुर	उपायुक्त, चुराचन्दपुर	56-थानलोन (अ.ज.जा.) 57-हन्गलेप (अ.ज.जा.) 58-चुराचन्दपुर (अ.ज.जा.) 59-सैकोट (अ.ज.जा.) 60-सिंघाट (अ.ज.जा.)

- (ii) उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में फेरजोल जिले से संबंधित मौजूदा प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

जिले का नाम	जिला निर्वाचन अधिकारी का पदनाम	अधिकार-क्षेत्र (विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र की सं. एवं नाम)
(1)	(2)	(3)
फेरजोल	उपायुक्त, फेरजोल	55-तिपाईमुख (अ.ज.जा.)

[फा. सं. 508/MR/NES-II/2023]

आदेश से,

राजीव रंजन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2026

O.N. 41(E).— In pursuance of sub-section (1) and (2) of Section 13AA of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, under consultation with Government of Manipur, hereby makes the following amendments in its Notification No. 508/MR/2023 dated 14th August 2023, relating to the appointment of District Election Officers in the State of Manipur, namely:-

- (i) For the existing entries pertaining to Churachandpur District in the Table appended to the said Notification, the following entries shall be substituted:-

TABLE

Name of District	Designation of District Election Officer	Area of Jurisdiction (No. and Name of AC)
(1)	(2)	(3)
Churachandpur	Deputy Commissioner, Churachandpur	56-Thanlon (ST) 57-Henglep (ST) 58-Churachandpur (ST) 59-Saikot (ST) 60-Singhat (ST)

- (ii) For the existing entries pertaining to Pherzawl District in the Table appended to the said Notification, the following entries shall be substituted :-

Name of District	Designation of District Election Officer	Area of Jurisdiction (No. and Name of AC)
(1)	(2)	(3)
Pherzawl	Deputy Commissioner, Pherzawl	55-Tipaimukh (ST)

[F. No. 508/MR/NES-II/2023]

By Order,

RAJIV RANJAN, Secy.